



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 22,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 81/2017 धारा- 364,302,201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त निरपत पुत्र चुन्नीलाल निवासी सिमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹22,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरी० केदारनाथ



पैरोकार- थाना कुरारा
का० रजनीश कुमार